REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-21112024-258803 CG-MH-E-21112024-258803

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 925] No. 925] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2024/कार्तिक 28, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2024/KARTIKA 28, 1946

> भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग)

> > (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना

मुंबई, 19 नवम्बर, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024

सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी .— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं. फेमा 10(आर)/2016-आरबी दिनांक 21 जनवरी 2016) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:-

- यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 कहलाएगी।
- (ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

7475 GI/2024

2. विनियम 5 में संशोधन:

विनियम 5 में, विद्यमान उप-विनियम ई का स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए एक 'स्टार्टअप' का अर्थ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 127 (ई) के अनुसार स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त ईकाई से है।"

3. विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (EEFC) योजना की अनुसूची l में संशोधन:

अनुसूची I के पैरा 1 (vii) का स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"स्पष्टीकरण: इस अनुसूची के उद्देश्य के लिए एक 'स्टार्टअप' का अर्थ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 127 (ई) के अनुसार स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त ईकाई से है।"

एन. सेंथिल कुमार, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./694/2024-25]

फुट नोट: मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र-असाधारण-भाग-II, खंड 3 के उप-खंड (i) में दिनांक 21.01.2016 के जी.एस.आर.सं. 96(ई) के माध्यम से प्रकाशित की गयी थी और तदुपरांत इसका संशोधन निम्नानुसार किया गया-

जी.एस.आर.सं.570(ई), दिनांक 01.06.2018

जी.एस.आर. 160(ई), दिनांक 27.02.2019

अधिसूचना संख्या फे मा.10आर (3)/2024-आरबी

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department) (CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th November, 2024

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Fourth Amendment) Regulations, 2024

No. FEMA 10 (R)/(4)/2024-RB.— In exercise of the powers conferred by section 9 and clause (e) of subsection (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016] namely:-

4. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:-

- (i) These regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Fourth Amendment) Regulations, 2024.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

5. Amendment to Regulation 5:

In Regulation 5, the explanation to the existing sub-regulation E shall be substituted as follows:-

"Explanation: For the purpose of this sub-regulation a 'startup' will mean an entity recognised as a startup by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade pursuant to notification number G.S.R. 127(E) dated February 19, 2019, and as amended from time to time."

6. Amendment to Schedule I of Exchange Earner's Foreign Currency (EEFC) Account Scheme:

The explanation to para 1 (vii) of Schedule I shall be substituted as follows:-

"Explanation: For the purpose of this schedule a 'startup' will mean an entity recognised as a startup by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade pursuant to notification number G.S.R. 127(E) dated February 19, 2019, and as amended from time to time."

N. SENTHIL KUMAR, General Manager [ADVT.-III/4/Exty./694/2024-25]

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 21.01.2016 - G.S.R.No. 96(E) and subsequently amended as under:

G.S.R. No.570(E) dated 01.06.2016 G.S.R. 160(E) dated 27.02.2019 Notification No. FEMA. 10R(3)/2024-RB dated April 19, 2024